हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	प्रार्थी मंदिर हाजिर स्वामी। अध्य नंदकिशोर एड०	
24/2/21	वकील प्रार्थी के उपरान्त दावा वादीगण खारिज (खारिज) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो। [signature]	

न्यायालय उपखंड अधिकारी सपोटरा, जिला- करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारी- ओमप्रकाश मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नं.	सी.सी.एन.आर.	तारीख रजू
83 / 04 (पुराना)	2008 / 00034	18.09.2004 (पुरानी),
48 / 08 (नवीन)		24.07.2008 (नवीन)

दावा बाबत घोषणा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरुस्ती

1. मूर्ति मंदिर श्री शालिग्राम जी विराजमान मदनपुर (गणेशीपुरा) पो० सलेमपुर जिला करौली जरिये सेवक भक्त कृष्णानंद पुत्र श्री मोहन जाति ब्रा० नि० मदनपुर हाल कचहरी रोड गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. नंदकिशोर पुत्र मोतीलाल जाति ब्रा० मदनपुर हाल महुकला गंगापुर सिटी।
2. रामचरण पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
3. रामरतन पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
4. रमेश पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
   4/1 कम्मो बाई बेवा रमेश जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
   4/2 सुनीता पुत्री रमेश जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
   4/3 मुकेश पुत्र रमेश जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
   4/4 मीरा पुत्री रमेश जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
   4/5 राजकुमार पुत्र रमेश जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
5. राधे पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
6. मुसा० फूली बेवा गोपाल जाति कुम्हार नि० मदनपुर पो० सलेमपुर जिला करौली।
7. स्टेट होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति

1. श्री रामरतन गुप्ता, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नेमीचंद गर्ग, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय 24.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा बाबत घोषणा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरुस्ती का प्रतिवादीगण के खिलाफ अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 18.09.2004 को इस आशय का पेश किया कि वादी मूर्ति की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मुताबिक जमाबंदी सं0 2015 खसरा नं0 1769 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा ग्राम मदनपुर में स्थित रही है। उक्त आराजीयात से ही मंदिर वादी की भोग राग की व्यवस्था होती है। वादी का वाद मित्र कृष्णानन्द है जो प्रतिवादी नं0 1 एन्यूटी होल्डर व पुजारी, व्यवस्थापक है के साथ वादी की सेवा पूजा भी करता है तथा वादी का वाद मित्र वादी मूर्ति का भक्त है। वादी व मूर्ति में अटूट विश्वास व श्रद्धा रखता है। इस कारण वादी मूर्ति के हितो का रक्षक है। प्रतिवादी नं0 2 ता 6 जो उक्त आराजीयात को बट पर काश्त करते है, ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर वादी मूर्ति की मुतनाजिया आराजीयात खसरा नं0 1769 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा को अवैधानिक रूप से बिना किसी अधिकार के उक्त आराजीयात को तहरीर रूप की मदद से अपने नाम करवा ली है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। जब वादी के वाद मित्र द्वारा दिनांक 04.01.2003 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली गई तो उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई। जिस पर वादी के वाद मित्र ने दिनांक 25.08.2004 को प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने तथा वादी मूर्ति की आराजीयात पर से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा तो प्रतिवादी नं0 2 ता 6 नाराज हो गये और कहा कि अब तो मुतनाजिया आराजी हमारे नाम है हम अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें जो करना हो सो करो। प्रतिवादीगण ने अभी वादी मूर्ति की आराजीयात पर से अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती नहीं की गयी तो वादी मूर्ति के समक्ष भोग राग की

Scanned with CamScanner

समस्या उत्पन्न हो जावेगी। इसलिये दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज, दुरूस्ती, बेदखली एव स्थायी निषेधाज्ञा करना आवश्यक हुआ। वादी मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग की परिभाषा मे आता है जिसकी जायदाद को रहन बय या अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरण नही किया जा सकता तथा जिसके हितो की रक्षा न्यायालय द्वारा स्वय ही किया जाना न्यायोचित है। वादकार बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 04.01.2003 को वाद प्राप्ति नकल राजस्व रिकॉर्ड व दिनांक 25.08.2004 को प्रतिवादीगण द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती न करवाने व अपना अवैध कब्जा नही हटाने के कारण ग्राम मदनपुर पो0 सलेमपुर मे पैदा हुआ।

प्रतिवादीगण के विवाद स्थान व मुतदाविया आराजीयात ग्राम मदनपुर सलेमपुर होने से उक्त वाद को माननीय न्यायालय को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नं0 1 वादी मूर्ति का एन्यूटी होल्डर व्यवस्थापक व विधिक रूप से वैध पुजारी होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 4 रूपये न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है जो पर्याप्त है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम मदनपुर तमोलीपुरा तहसील सपोटरा वादी मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी बिराजमान तमोलीपुरा की खातेदारी व कब्जे काश्त की घोषित फरमायी जावे।वाद घोषणा प्रतिवादी नं0 7 को आदेशफरमाये जावें कि यह खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम तमोलीपुरा मदनपुर सलेमपुर तहसील सपोटरा को वादी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें। प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को वाद घोषणा व दुरूस्ती खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा से बेदखल कर वादी मूर्ति को जरिये एन्यूटी होल्डर, व्यवस्थापक प्रतिवादी नं0 1 दखल दिलवावें।

प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को वाद घोषणा, दुरूस्ती व बेदखली स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करें ना अन्य किसी से करवावें। खर्चामुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर अहलमद से रिपोर्ट ली गई एवं वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन जारी की गई। वकील वादी उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 1 नन्दकिशोर बावजूद तामील उपस्थित नही हुआ अतः इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की ओर से श्री नेमीचन्द्र गर्ग एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 7 के प्रतिनिधी उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की ओर से दिनांक 23.02.2005 को जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया । प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र का मद नं0 1 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकर नही है आराजी ख0न0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा से वादी का कोई सम्बन्ध नही है ना ही विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है ना ही उक्त आराजी से वादी की रागभोग की व्यवस्था होती है ना ही वादी मूर्ति का कोई मंदिर मदनपुर (तमोलीपुरा) मे है बल्कि उक्त आराजी हम प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और हम प्रतिवादीगण ही उक्त आराजी को काश्त कर रहे है। वाद पत्र मद नं0 2 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है कृष्णा नंद वादी का वाद मित्र नही है ना ही प्रतिवादी नं 1 वादी का एन्यूटी होल्डर व पुजारी एवं व्यवस्थापक नही है ना ही वादी का कोई मंदिर है ना ही मित्र भक्त है ना ही वह मूर्ति में अटूट विश्वास व श्रद्धा रखता है ना ही वह वादी मूर्ति के हितो का रक्षक है। वाद पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है दौराने सैटलमेंट हम प्रति नं0 2 ता 6 उक्त आराजी को वट पर काश्त नही जोतते बल्कि वाहैसियत खातेदार कास्तकार थे। राजस्व कर्मचारियो से साजकर उक्त आराजी का खाता हम प्रतिवादीगण द्वारा कराने वाली बात गलत है हमारा खाता सही हुआ था। वादी का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वाद पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है वादी के वाद पत्र द्वारा दिनांक 04.01.2003 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने वाली बात गलत है वाद मित्र को समस्त बयान की पूर्व से ही जानकारी थी। दिनांक 25.08.2004 को वादी के वाद मित्र द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने की कहने वाली बात गलत है नाही हम प्रतिवादीगण से वादी की कोई बात हुई। वाद पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है हम प्रतिवादीगण का कब्जा वैध है और वहैसीयत खातेदार कास्तकार है वादी ना तो कब्जा हटवाने का अधिकारी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है वादी मूर्ति का मंदिर न होने से रागभोग की समस्या होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वाद पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है। वादी मूर्ति का कोई मंदिर ही नही होने से वादी के हितों

Scanned with CamScanner

की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नही है। वाद पत्र का मद नं0 7 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है। वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ वाद मित्र को उक्त रिकॉर्ड के बारें में पूर्व से ही जानकारी थी वादी ने दिनांक 04.11.2003 को जानकारी होने एव दिनांक 25.08.2004 को इन्द्राज दुरूस्ती न कराने वाली बात गलत है। वाद पत्र का मद नं0 8 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नं0 9 जिस प्रकार लिखा है गलत है स्वीकार नही है। प्रति0 नं0 1 वादी मूर्ति का एन्यूटी होल्डर व्यवस्था पर एवं पुजारी नही है। वादी एवं प्रति0 नं0 1 की सारी साजिश है और वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने हम प्रतिवादीगण से उक्त आराजी को हडपने की गर्ज से साजकर व झूठा दावा प्रस्तुत किया है। वाद पत्र का मद नं0 10 बाबत कोर्ट फीस है। वाद पत्र का मद नं0 11 का उपमद क, ख, ग, घ, ड, च, गलत है स्वीकार नही है वादी विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा कराने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर दुरूस्ती कराने एव हम प्रति0 से वादी उक्त आराजी का दखल प्राप्त करने एवं वादी हम प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है ना ही वादी हम प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है। ना ही वादी इन मदो से दर्ज दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा वादी मय खर्चा खारिज होने योग्य है। वादी का दावा मियाद बाहर है। दावे में मियाद बाबत तथ्य दर्ज नही किया है इसलिए दावा ऑर्डर 07 रूल्स 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज होने योग्य है। वादी के मित्र हैसीयत से दावा लाने का अधिकारी नही है। कृष्णानंद गंगापुर रहता है इसे दावा पेश कराने का अधिकारी नही है। हम प्रतिवादीगण पुश्तैनी समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार उक्त आराजी पर खारिज काबिज काश्त है इसलिए हमारा एडवर्सिटी होस्टिली कब्जा है। इस आधार पर दावा वादी खारिज होने योग्य है। दावा विधि के प्रावधानों के तहत पेश नही किया है। दावा खारिज होने योग्य है।

वादी की ओर से दस्तावेजी सबूत में खसरा सं0 1769 की जमाबंदी संवत 2015 (प्रदर्श–1) जमाबंदी संवत 2057–2060 (प्रदर्श–2) पेश किये है। वादी ने वाद पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं दौराने साक्ष्य भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र एवं जबावदावा में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 27.04.2005 को तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है–

1. आया आराजी भूमि खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम सलेमपुर वादी मंदिर श्री सालिगराम जी की खातेदारी की है। –वादी
2. आया आराजी विवादित से वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर दखल प्राप्त कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के हकूक प्राप्त है। –वादी
3. आया प्रतिवादी आराजी विवादित का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। –प्रतिवादी

दिनांक 24.05.2005 को वादी एवं वकीलवादी के अनुपस्थित होने पर दावा वादी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। वादी द्वारा वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.08.2005 को दावा पुनः नम्बर पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 के फौत होने पर वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 22 नियम 4 सी. पी.सी. का दिनांक 05.10.2005 को पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 4 रमेश पुत्र गोपाल के दिनांक 22.09.2005 को स्वर्गवास हो जाने पर वाद पत्र में उनके वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया। श्रीमान निबन्धक महोदय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के मिसल तलवी पत्रांक 22111 दिनांक 22.09.2005 द्वारा पत्रावली मण्डल में चाही गयी। पत्रावली भिजवाई गयी। पक्षकारान को सूचित किया गया। पत्रावली माननीय मण्डल के पत्रांक 2746 दिनांक 16.04.2008 के साथ मय निर्णय प्रति दिनांक 18.03.2008 के साथ प्राप्त हुई एवं तलवी उभयपक्षकारान जरिये कॉर्ट नोटिस जारी की गई। दिनांक 25.04.2012 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 तथा 5 लगायत 6 के बावजूद तामील अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. को पेश किया। जिसका वादी द्वारा जबाब पेश किये जाने पर बहस सुनी गयी एवं दिनांक 04.09.2013 में पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 4/2 सुनीता पुत्री रमेश को अपास्त किया जाता है, अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश यथावत रखे गये। प्रार्थना पत्र वादी बाबत कायम मुकाम दिनांक 19.09.2012 को स्वीकार किया गया। तदानुसार वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश हुआ एवं प्रतिवादी सं0 4 के वारिसान 4/1 लगायत 4/5 को रिकॉर्ड पर लिया गया।

दौराने साक्ष्य वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी और कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते अतः साक्ष्यवादी बंद की गयी। दिनांक 27.

Scanned with CamScanner

09.2019 को प्रतिवादी सं0 4/2 ने पिता द्वारा प्रस्तुत जबाव को ही स्वय का जबाव माना जाने का निवेदन किया। अतः जबावदावा प्रतिवादी सं0 4/2 बंद किया गया। प्रतिवादी कोई भी साक्ष्य पेश करना नही चाहते अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी एवं वहस की दिनांक नियत की गयी।

वहस दिनांक 17.02.2021 को अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित आये। वहस सुनी गयी। दौराने वहस अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही वहस का हिस्सा माना जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी साक्ष्य एवं जिरह में उपस्थित नही आया एवं अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई सबूत गवाह पेश नही कियें। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, वाद पत्र एवं जवाबदावा के तथ्यों, न्यायिक दृष्टांत के आधार पर उक्त प्रकरण में तनकी वार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी संख्या 1.–आया आराजी भूमि खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सलेमपुर वादी मंदिर श्री सालिगराम जी की खातेदारी की है। –वादी

तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से खसरा सं0 1769 की जमाबंदी सैटलमेंट संवत 2015 (प्रदर्श–1) पेश हुयी है जिसके कॉलम संख्या 3 में भोक्ता माफीमंदिर श्री सालिगराम जी दर्ज है एवं कॉलम संख्या 5 में कृषक गोपाल पुत्र ग्यारसिया कौम कुम्हार सा0 मदनपुरा मजरा देह है, दर्ज है। वादी गण की ओर से खसरा सं0 1769 की जमाबंदी संवत 2057–60 (प्रदर्श–2) पेश की है, जिसके अनुसार विवादित खसरा नं0 1769 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा रामचरण, रामरतन, रमेश, राधे पि0 गोपाल व फूली वेवा गोपाल के नाम दर्ज है।

तनकी संख्या 2.–आया आराजी विवादित से वादी प्रतिवादीगण को वेदखल कराकर दखल प्राप्त कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के हकूक प्राप्त है। –वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है।

जागीरदारी रिजम्पशन के वक्त मंदिर श्री **सालिगराम जी** खुद काश्त दर्ज होने संबंधी पत्रावली पर कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि जागिर रिजम्पशन की तिथि को माफी मंदिर जो कि जागीर थी, मंदिर खुदकाश्त था। अगर मंदिर खुदकाश्त है तो पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी नही मिल सकती। राजस्थान लैण्ड रिफॉम एवं रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 निम्न प्रकार है–

> *"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समक्ष राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी के आनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।'*

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि संवत 2015 में मंदिर की खुदकाश्त नही थी, बल्कि कृषक गोपाल पुत्र ग्यारसिया कौम कुम्हार दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय तारा बनाम सरकार में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

(a) Raj. Land Revenue Act, Section 82-Raj. Tenancy Act, Section 232-Raj. Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952- Reference- The land of deity and cultivated by a person other than suabiat/pujari or by hired labour shall vest in the state after jagir resumption- The deity, though perpetual minor, could not hold such land-A tenant of khudkasht other than shabiat/pujari becomes khatedr of such land- the name of the deity to be expunged from revenue record-

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

Shabiat/pujari had no right to transfer such land-All the transfers are null and void-Land to be resumed by state.

(b) Jagir land/Maufi held by shebiat/pujari in their name after resumption of jagir would not give them any right-Alienation of such land would be null and void.

(c) No person can acquire right by Adverse-possession in such lands which were resumed or are in khatedari of tenants.

(d) Provisoin of limitation for filing suit for possession against the trespasser will be applicable and not the provisions of Sec. 27 of Limitation Act.

(e) No time limit has been fixed for reference u/s 82 of the Raj. L.R. Act. And Sec. 232 of Raj. Tenancy Act, however reference can be made within a reasonable time

संवत 2015 में कृषक गोपाल पुत्र ग्यारसिया कौम कुम्हार है, संवत 2015 के पश्चात के वर्षो में प्रश्नगत भूमि संवत 2057–2060 जमावंदी में गोपाल के वारिसान के दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जागीर रिज्यूम्शन की तिथी को जो कृषक था, उसे खातेदारी प्राप्त हो गई। इसी आधार पर गोपाल पुत्र ग्यारसिया को खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात प्रश्नगत भूमि विरासतन गोपाल के वारिसान रामचरण, रामरतन, रमेश, राधे, पिसरान गोपाल व फूली वेवा गोपाल हिस्सा बराबर कौम कुम्हार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित हो गयी। अतः राजस्थान जागीर एक्ट की धारा 9 के संदर्भ में प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार विधिसम्मत प्राप्त हुए है। अतः तनकी सं0 1 एवं 2 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के पक्ष में निर्धारित की जाती है।

तनकी संख्या 3–आया प्रतिवादी विवादित आराजी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। –प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।
प्रतिवादी सं0 2 से 5 विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं मुताबिक जवाबदावा कब्जेकाश्त है। जागीरदारी रिजम्पशन के वक्त मंदिर श्री **सालिगराम जी** खुद काश्त दर्ज होने संबंधी पत्रावली पर कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि जागिर रिजम्पशन की तिथि को माफी मंदिर जो कि जागीर थी, मंदिर खुदकाश्त था। जागीर रिज्यूम होने पर राजस्थान जागीर अधिनियम की धारा 9 के परिपेक्ष्य में मंदिर को खातेदारी नही मिल सकती जब मंदिर खातेदार नही है तो उसे कब्जेकाश्त कृषक को बेदखल नही कर सकते। अतः तनकी सं0 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जागीर रिजमशन की तिथी को जो खातेदार कृषक था उसे खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए। अतः दावा वादीगण बाबत घोषणा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती खारिज किया जाता है एवं जवाबदावा प्रतिगण 2 ता 6 स्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा सुनाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी
सपोटरा, जिला- करौली

Scanned with CamScanner